

जनपद न्यायालय, कौशाम्बी में अस्थायी वाहन स्टैण्ड के संचालन
हेतु आवेदन आमंत्रित करने की सूचना
(अवधि 01 जुलाई 2016 से 31 मार्च 2017 तक)

जनपद न्यायालय, कौशाम्बी में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अस्थायी वाहन स्टैण्ड हेतु खुली निविदायें आमंत्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति/संस्था मु0 5,000/- रुपये की अग्रिम जमा धनराशि नकद या बैंक ड्राफ्ट (जनपद न्यायाधीश, कौशाम्बी के नाम से) के साथ अपने आवेदन समय 03:00 बजे, दिनांक : 25.06.2016 तक नज्दरत अनुभाग, जनपद न्यायालय, कौशाम्बी में जमा कर सकते हैं। खुली नीलामी दिनांक : 25.06.2016 को सायंकाल : 03:30 बजे से इच्छुक व्यक्तियों/संस्था के प्रतिनिधि की मौजूदगी में सभागार, जनपद न्यायालय, कौशाम्बी में की जायेगी।

नियम एवं शर्तें

1. अस्थायी वाहन स्टैण्ड की नीलामी 31 मार्च 2017 तक के लिए करायी जायेगी। निविदायें एक बार जमा करने के उपरान्त वापस नहीं की जायेगी।
2. इच्छुक व्यक्ति/संस्था मु0 5,000/- रुपये की अग्रिम जमा धनराशि नकद या बैंक ड्राफ्ट (जनपद न्यायाधीश, कौशाम्बी के नाम से) के साथ अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। उक्त वर्णित अग्रिम जमा धनराशि के बगैर जमा आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे। आवेदन पत्र दिनांक : 25.06.2016 को या उसके पहले किसी भी कार्यदिवस में निशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं।
3. आवेदन पत्र अधोहस्ताक्षरी के नाम से संबोधित होंगे तथा दिनांक : 25.06.2016 को या उसके पहले किसी भी कार्यदिवस पर सायंकाल : 03:00 तक जमा किये जा सकते हैं।
4. खुली नीलामी दिनांक : 25.06.2016 को सायंकाल : 03:30 बजे से इच्छुक व्यक्तियों/संस्था के प्रतिनिधि की मौजूदगी में सभागार, जनपद न्यायालय, कौशाम्बी में की जायेगी। जो व्यक्ति/संस्था का प्रतिनिधि खुली बोली के समय उपस्थित नहीं होगा उस व्यक्ति/संस्था द्वारा जमा अग्रिम धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
5. निविदा में असफल व्यक्तियों की अग्रिम जमा धनराशि नीलामी के उपरान्त शीघ्र वापस कर दी जायेगी। नीलामी स्वीकृत होते ही सफल व्यक्ति/संस्था को नीलामी की कुल धनराशि का 50% धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी तथा शेष धनराशि का भुगतान तीन कार्यदिवसों के भीतर नकद या बैंक ड्राफ्ट (जनपद न्यायाधीश, कौशाम्बी के नाम से) जमा करना होगा। नीलामी में सफल व्यक्ति/संस्था द्वारा जमा अग्रिम धनराशि का समायोजन विज्ञापन खर्च की कटौती के उपरान्त नीलामी की पूर्ण धनराशि में कर लिया जायेगा।
6. इस वित्तीय वर्ष 2016-17 में अस्थायी वाहन स्टैण्ड की नीलामी की न्यूनतम बोली 45,000/- (पैंतालिस हजार मात्र) रुपये होगी।
7. इस वित्तीय वर्ष 2016-17 में वाहन स्टैण्ड में वाहनों का किराया नियत कर

दिया गया है जो निम्नवत है . . .

1. साइकिल – रु0 **03.00** / – मात्र ।
 2. स्कूटर/मोटर साइकिल – रु0 **05.00** / – मात्र ।
 3. कार/जीप या अन्य बड़ें वाहन – रु0 **10.00** / – मात्र ।
 4. अधिवक्ताओं तथा कर्मचारियों का मासिक शुल्क, दो पहिया वाहन – रु0 **100** / – प्रति माह
 5. अधिवक्ताओं तथा कर्मचारियों का मासिक शुल्क, चार पहिया वाहन – रु0 **200** / – प्रति माह
- नीलामी में सफल व्यक्ति को अस्थायी वाहन स्टैण्ड हेतु जमीन उपलब्ध करा दी जायेगी तथा वाहन स्टैण्ड को चलाने हेतु वह स्वयं उसे विकसित करेगा ।
8. आवेदन पत्र के साथ इच्छुक व्यक्ति को अपना स्वहस्ताक्षरित निवास तथा पहचान प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा ।
 9. निविदाये जनपद न्यायाधीश, कौशाम्बी के अनुमोदन के आधीन होगी तथा जनपद न्यायाधीश महोदय को बिना कारण बताए किसी एक या समस्त निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा ।
 10. प्राप्त आवेदन पत्रों (जैसा कि नियम व शर्तों के पैरा-4 में लिखित है) की खुली नीलामी दिनांक : **25.06.2016** को सायंकाल : 03:30 से बजे इच्छुक व्यक्तियों की मौजूदगी में सभागार, जनपद न्यायालय, कौशाम्बी में की जायेगी ।
 11. उक्त निविदा में किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में जनपद न्यायाधीश, कौशाम्बी का निर्णय अंतिम/सर्वमान्य होगा ।

दिनांक : 30.05.2016

श्री रमेश चन्द-II
सिविल जज (वरिष्ठ श्रेणी)
जनपद न्यायालय, कौशाम्बी ।

श्री राम चन्द यादव
अपर सत्र न्यायाधीश-5
जनपद न्यायालय, कौशाम्बी ।

अध्यक्ष, नीलामी समिति /
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
जनपद न्यायालय, कौशाम्बी ।